न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर०ए०एस० अति० संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 48 / 2017 / अपील / एल.आर.एक्ट / बूंदी
दायरा दिनांक: 4.5.2017
अन्तर्गत धारा: 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. चन्द्रनाथ आत्मज नारायण जाति कालबेलिया निवासी अलकोदिया तहसील व जिला बूंदी हाल निवासी ग्राम टीकड तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा–राज0।

... अपीलाट

बनाम

1. रूकमाबाई पत्नी नारायण जाति कालबेलिया निवासी मोतीपुरा का बरडा हाल ग्राम डोटा तहसील बूंदी–राज0।
2. बाबूनाथ उर्फ बाबू आत्मज नारायण जाति कालबेलिया निवासी अलकोदिया तहसील बूंदी हाल निवास ग्राम भोजपुर गोड फूलेता तहसील उनियारा जिला टोंक–राज0।
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील व जिला बूंदी।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री धारा सिंह मीना अभिभाषक अपीलांट्स
श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1
श्री हेमराज मीणा अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–2

प्रकरण संख्या: 49 / 2017 / अपील / एल.आर.एक्ट / बूंदी
दायरा दिनांक: 4.5.2017
अन्तर्गत धारा: 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ★ कोटा ★

उनवान

1. बाबूनाथ उर्फ बाबू आत्मज नारायण जाति कालबेलिया निवासी अलकोदिया तहसील बूंदी हाल निवास ग्राम भोजपुर गोड फूलेता तहसील उनियारा जिला टोंक–राज0।

... अपीलांट

बनाम

1. चन्द्रनाथ आत्मज नारायण जाति कालबेलिया निवासी अलकोदिया तहसील व जिला बूंदी हाल निवासी ग्राम टीकड तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा–राज0।
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील व जिला बूंदी।
3. रूकमाबाई पत्नी नारायण जाति कालबेलिया निवासी मोतीपुरा का बरडा हाल ग्राम डोटा तहसील बूंदी–राज0।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री नन्दसिंह हाडा अभिभाषक अपीलांट्स
श्री हेमराज मीणा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम–1
श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा अभिभाषक रेस्पो0 क्रम 3

अति० सं० आयु०
कोटा

:::निर्णय:::

दिनांक 5.7.2018

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय तहसीलदार, तहसील बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 78/2009 बउनवान बाबूनाथ बनाम रूकमाबाई आदि मे राज0 ले0 रे0 एक्ट की धारा 135 (2) अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 4.1.2017 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि ग्राम अलकोदिया की वर्तमान कृषि भूमि ख0 नं0 631/393 रकबा 10 बीघा रामप्रहलाद पुत्र नारायण कालबेलिया व ख0 नं0 632/393 की 5 बीघा 10 बिस्वा बाबूनाथ पुत्र नारायण कालबेलिया गैर खातेदार के नाम अंकित है नामा0 सं0 385 मे मृतक रामप्रहलाद के स्थान पर चन्द्रनाथ के नाम नामा0 स्वीकार किया गया था जिसके विरूद्ध अपील सं0 52/09 बाबूनाथ एवं अपील सं0 59/09 रूकमाबाई व नारायण ने न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी मे पेश की गई। अपीलाधीन नामान्तकरण गैरखातेदार बाबूनाथ आ0 नारायण व खातेदार रामप्रहलाद आ0 नारायण के लाऔलाद फोत हो जाने से चन्द्रनाथ के पक्ष मे तस्दीक किया गया है जबकि बाबूनाथ जीवित है। इसी प्रकार नारायण का कथनहै कि उनके मात्र 3 पुत्र रामप्रहलाद, धन्ना व सतसूभ्रत है, चन्द्रनाथ नाम का हमारे कोई पुत्र नही है। रामप्रहलाद फोत हो गया है तथा उसके खातेदारी की आराजी पर वह काबिज काश्त है। दोनो अपीले एक ही नामान्तरकरण सं0 385 से संबधित होने तथा इनके तथ्य समान होने से दोनो अपीलों को संयोजित किया जाकर दिनांक 18.8.2009 को अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण सं0385 ग्राम अलकोदिया दिनांक 12.12.08 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार बूंदी को मामले मे पक्षकारान के संबध मे विस्तृत जांच कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर तथा साक्ष्य एवं सबूत रेकार्ड पर लेकर नये सिरे से मृतक के विधिक वारिसान के नाम नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक करने की हेतु रिमांड किया गया। जिला कलक्टर बूंदी द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 18.8.2009 के परिपेक्ष्य मे तहसीलदार बूंदी द्वारा ग्राम अलकोदिया के वर्तमान ख0सं0 631/393 रकबा 10.00 बीघा रामप्रहलाद पुत्र नारायण कौम कालबेलिया सा0 देह खातेदार रहिन स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बूंदी के नाम मृतक रामप्रहलाद नाऔलाद फौत होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के प्रथम वर्ग के दायद मे माता का नाम दर्ज किये जाने का प्रावधान होने से रामप्रहलाद के स्थान पर रूकमाबाई पत्नी नारायण नाथ कौम कालबेलिया सा0 देह खातेदार रहिन स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बूंदी के हक मे नामान्तरकरण दर्ज करने एवं बाबूनाथ पुत्र नारायण नाथ कौम कालबेलिया नाम की स्पष्ट पुष्टि नही होने से इसकी विरासत आशय मे हक निर्धारण करवाने के संबध मे सही वारिसान के निर्धारण के लिये सक्षम अधिकारी के यंहा वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करना वर्णित करते हुये मृतक बाबूनाथ पुत्र नारायण नाथ कौम कालबेलिया निवासी ग्राम अलकोदिया के नाम की पुष्टि नही होने से पृथक से आवंटन खारिज कराये जाने हेतु कार्यवाही करने बावत संबधित भू अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को लिखे जाने एवं निर्णय की पालना हेतु नामा0 385 पटवारी हल्का को निर्देशित कर पेश कराने का दिनांक 4.1.2017 को निर्णय पारित किया गया। तहसीलदार बूंदी द्वारा पारित उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट चन्द्रनाथ एवं बाबूनाथ द्वारा क्रमशः अपील सं0 48/17 एवं 49/17 पेश कर अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

2 उपरोक्त दोनो अपील दर्ज रजि0 की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई। रेस्पो0 रूकमाबाई की ओर से उसके अभिभाषक द्वारा प्रकरण मे लिखित बहस पेश की गई।

3 दोनो अपीले एक ही निर्णय दिनांक 4.1.2017 से संबधित होने तथा इनके तथ्य समान होने से एक साथ निर्णय हेतु अपील संख्या 49/17 को अपील संख्या 48/17 के साथ संयोजित किया गया।

4 अपीलांट बाबूनाथ के विद्वान अभिभाषक ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों पर रोशनी डालते हुये कथन किया कि ग्राम अलकोदिया की भूमि ख0सं0 632/393 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा बाबूनाथ के गेरखातेदारी मे तथा ख0सं0 631/394 रकबा 10 बीघा उसके सगे भाई रामप्रहलाद के खातेदारी मे दर्ज है। रामप्रहलाद का 35 वर्ष पूर्व देहान्त हो गया। विवादित आराजी उनको आवंटित हुई थी। चन्द्रनाथ ने हम दोनो भाईयो को लाऔलाद फौत बताकर तथा फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त आराजी नामा0 सं0 385 अपने नाम दर्ज करा लिया। अपीलांट बाबूनाथ जिन्दा है रोजगार की तलाश मे जयपुर चला गया था जो अरसे दराज तक ग्राम अलकोदिया से बाहर रहा अपीलांट को आवंटित भूमि 5 बीघा 10 बिस्वा अपने भाई रेस्पो0 क्रम–1 चन्द्रनाथ को जुपवाता रहा इसी दौरान रंस्पो0 क्रम–1 ने अपीलांट का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर अपीलांट की कृषि भूमि जो गेरखातेदारी मे दर्ज को अपने नाम इंतकाल सं0 385 खुलवाकर अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा लिया। न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी ने निर्णय मे अपीलांट को जीवित होना माना है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बूंदी का निर्णय गलत तथ्यो पर आधारित है क्योंकि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे गतदाता सूची 1986 पंचायत समिति तालेडा जिसमे अपीलांट एवं उसके परिजनों के नाम अंकित है, राशकार्ड व सरपंच ग्राम पंचायत गुमानपुरा द्वारा दिनांक 5.5.2010 तक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। अपीलांट खानाबदोश जाति का होने से अपीलांट स्थायी दस्तावेज नही थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन फार्म एवं उसमे चस्पा अपीलांट के फोटो तथा अगूंठा निशानी से मिलान किया होता तो वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाती है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कोई ध्यान नही दिया गया। अतः अपील स्वीकार कर नामान्तकरण 385 निरस्त कर खसरा संख्या 632/393 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा उसके खाते दर्ज की जावे।

5 अपीलांट चन्द्रनाथ के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रकट किया कि तहसीलदार बूंदी द्वारा रूकमाबाई को रामप्रहलाद की माता व नारायण की पत्नी मानने में त्रुटि की है जबकि वास्तव में अपीलांट व रामप्रहलाद की माता का नाम जमनाबाई है जो अरसे पूर्व फौत हो चुकी है तहसीलदार बूंदी ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया।रूकमा बाई की आयु अपीलांट से भी काफी कम है फिर किस प्रकार रूकमाबाई, अपीलांट व स्वर्गीय रामप्रहलाद की माता हो सकती है। बहस मे आगे बताया कि पटवारी हल्का की फर्द मोका रिपोर्ट 8.12.2010 भू माफियो से मिल कर तैयार कर पेश की जिस पर विश्वास कर तहसीलदार बूंदी ने त्रुटि की है। रूकमाबाई का अपीलांट के परिवार से कोई संबध नही है ना ही वह स्व0 रामप्रहलाद की माता व स्व0 नारायण नाथ की पत्नी रही है। अतः अपील स्वीकार कर नामा0 सं0 385 को बहाल किया जाकर ख0सं0 632/393 उसके नाम पुनःदर्ज की जावे।

6 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 रूकमाबाई ने प्रकरण मे लिखित बहस पेश की जिसके संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रथम दृष्टया अपील मियाद बाहर पेश की गई है अतः मियाद के बिन्दू पर ही खारिज योग्य है। रामप्रहलाद की मृत्यु 1988 मे होने उपरांत उसके माता पिता रूकमा व नारायण नाथ आज तक निर्बाध रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। चन्द्रनाथ ने बाबूनाथ व रामप्रहलाद का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर राजस्व अधिकारी/कर्मचारी से मिली भगत करके भूमि अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कराई थी जिसे न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी द्वारा पारित निर्णय दिनाक 18.8.2009 से नामा0 सं0 385 खारिज कर प्रकरण तहसीलदार को रिमांड किया गया था। तहसीलदार बूंदी ने रिमांड आदेश की पालना मे प्रकरण मे समुचित तथ्यों का अवलोकन कर तथा सुनवाई का अवसर प्रदान कर जेरअपील निर्णय दिनांक 4.1.2017 पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है। तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय रिमांड आदेश की पालना है। अपीलांट को रिलिफ के लिये नियमित वाद पेश कर अपने अधिकार तय कराना चाहिये उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार तथा प्रकरण मे रूकमाबाई की ओर से जरिये अभिभाषक प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। डिले कन्डोन हेतु अपील के साथ स्वयं का शपथ पत्र बावत अपीलाधीन निर्णय की जानकारी 1.3.2017 को उसके अभिभाषक से मिलने पर होना वर्णित किया है। रेस्पो0 रूकमाबाई द्वारा यद्यपि लिखित बहस मे अपील मियाद बाहर होने से खारिज करना वर्णित किया गया किन्तु अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त शपथ पत्र के खण्डन मे रेस्पो0 द्वारा कोई प्रतिउत्तर/आधार अभिलेख प्रस्तुत नही किये है अतः शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो को अविश्वसनीय माने जाने का कोई आधार अभिलेख पत्रावली मे उपलब्ध नही है। लिहाजा न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

8 अपील का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4.1.2017 तथा प्रश्नगत प्रकरण मे रेस्पो0 रूकमाबाई की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन कर विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख, के अवलोकन से प्रकट है कि तहसीलदार बूंदी द्वारा जेरअपील निर्णय दिनांक 4.1.2017 न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी द्वारा नामा0 सं0 385 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील सं0 52/09 बाबूनाथ एवं अपील सं0 59/09 रूकमाबाई व नारायण मे पारित निर्णय दिनांक 18.8.2009 के आलोक मे पारित किया है। उक्त दोनो अपील प्रकरण नामा0 सं0 385 से संबधित होने से तथा पक्षकार एवं अपील के तथ्य एक समान होने से संयोजित कर दिनांक 18.8.2009 को अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 385 ग्राम अलकोदिया दिनांक 12.12.08 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार बूंदी को मामले मे पक्षकारान के संबध मे विस्तृत जांच कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर तथा साक्ष्य एवं सबूत रेकार्ड पर लेकर नये सिरे से मृतक के विधिक वारिसान के नाम नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक करने की हेतु रिमांड किया गया। जिला कलक्टर बूंदी द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 18.8.2009 के परिपेक्ष्य मे तहसीलदार बूंदी द्वारा ग्राम अलकोदिया के वर्तमान ख0सं0 631/393 रकबा 10.00 बीघा रामप्रहलाद पुत्र नारायण कौम कालबेलिया सा0 देह खातेदार रहिन स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बूंदी के नाम मृतक रामप्रहलाद नाऔलाद फौत होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के प्रथम वर्ग के दायद मे माता का नाम दर्ज किये जाने का प्रावधान होने से रामप्रहलाद के स्थान पर रूकमाबाई पत्नी नारायण नाथ कौम कालबेलिया सा0 देह खातेदार रहिन स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बूंदी के हक मे नामान्तरकरण दर्ज करने एवं बाबूनाथ पुत्र नारायण नाथ कौम कालबेलिया नाम की स्पष्ट पुष्टि नही होने से इसकी विरासत आशय मे हक निर्धारण करवाने के संबध मे सही वारिसान के निर्धारण के लिये सक्षम अधिकारी के यंहा वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करना वर्णित करते हुये मृतक बाबूनाथ पुत्र नारायण नाथ कौम कालबेलिया निवासी ग्राम अलकोदिया के नाम की पुष्टि नही होने से पृथक से आवंटन खारिज कराये जाने हेतु कार्यवाही करने बावत संबधित भू अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को लिखे जाने एवं निर्णय की पालना हेतु नामा0 385 पटवारी हल्का को निर्देशित कर पेश कराने का दिनांक 4.1.2017 को निर्णय पारित किया गया। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट ऐसे कोई तथ्य/सबूत पेश नही कर पाये है जिससे उनके कथन की पुष्टि होती हो। अंतः समुचित आधार अभिलेख के अभाव मे अपीलांट के कथन की पुष्टि नही होती है। लिहाजा उक्त विवेचन अनुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे किसी प्रकार कर विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नही पाते है। परिणाम स्वरूप अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बूंदी का अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश प्रतीत नही होती है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

9 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है।

10 निर्णय आज दिनांक 5.7.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा